सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 184/प्रा0पत्र/2022 दायरा दिनांक :–05.08.2022

GCMS ID–2022/188

उनवान

1. महादेवा आ0 कान्हा जाति मीना निवासी काला बड–थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण कंवर पत्नी प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रा कोलोनी पुराना माटून्दा रोड माता जी के मंदिर के पास बून्दी तहसील व जिला बून्दी।
2. लक्ष्मणसिंह आ छोटू सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रा कोलोनी पुराना माटून्दा रोड माता जी के मंदिर के पास बून्दी तहसील व जिला बून्दी।
3. भगवानसिंह आ0 कानसिंह जाति राजपूत निवासी देवजी का थाना तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. लाडकंवर पत्नी कानसिंह जाति राजपूत निवासी देवजी का थाना तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. रामचन्द्र आ0 भूरा जाति मीना निवासी खरला का झोपडा–थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :– एकतरफा

आदेश

दिनांक : 17.04.2025

प्रार्थीया का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1980/1610, 748, 749, 751, 752, 755, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778 कुल किता 16 कुल रकबा 6.2727 हैक्टेयर वाके ग्राम थाना पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में से खसरा संख्या 748 व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1619, 1620 के बीच में रास्ता बना हुआ है जो राजस्व नक्शे में दर्ज है अर्थात उक्त रास्ते से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की भूमि अलग–अलग बंटी हुई है और दोनों की भूमि के मध्य बने रास्ते का प्रार्थी व अन्य खातेदार उपयोग करते आ रहे है। गत माह पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 748 व 1619, 1620 के मध्य बने रास्ते को हांक कर खेत में मिला लिया और प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 748 में जबरन पत्थर के पीलर गाढ कर तारपेंसिंग कर दी तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य का विरोध किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के धक्का मुक्की व मारपीट करने का प्रयास

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

किया लेकिन गांव के मोतबीर व्यक्तियों व रामकिशन मीणा आदि ने मौके पर पहुंच कर समझाइश की तब अप्रार्थीगण ने एक राजीनामा इस बाबत लिख कर प्रार्थी को दिया कि भूमि खसरा संख्या 748 का नाप करवा लो और नाप से गाढे गये पीलर व तारपेंसिंग प्रार्थी के खाते की में निकलते है तो हम हटा लेंगे। प्रार्थना पत्र के साथ राजीनामा की तहरीर संलग्न है। प्रार्थी ने आपसी सहमति से रास्ते की भूमि व खसरा सख्या 748 का सीमाज्ञान करवाने का आग्रह किया लेकिन प्रतिवादीगण ने दिनांक 30.07.2022 को धमकी दी कि हम सीमाज्ञान को नहीं मानेंगे और हमारी मौजूदगी में भूमि की पत्थरगढी करवाने के उपरांत ही हम हमारे पीलर व तारपेंसिंग हटायेंगे, यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य वर्षो से रिकॉडेड रास्ता बना हुआ है लेकिन अप्रार्थीगण ने गत माह पूर्व रास्ते को हांक कर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 748 में पत्थर के पीलर गाढ दिये और तारपेंसिंग कर दी और रास्ते को बंद कर दिया है, और पत्थरगढी कराये बिना पीलर व तारपेंसिंग हटाने से इंकार कर दिया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के समक्ष उक्त कार्यवाही प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 5 रामचन्द्र की भूमि व प्रार्थी की भूमि पास–पास है और दोनों के मध्य भी सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 5 अनावश्यक विवाद करता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का सहयोग करता है इस कारण अप्रार्थी संख्या 5 को भी पक्षकार बनाया गया है तथा कार्यकारी ऐजेन्सी तहसीलदार होने से तहसीलदार हिण्डोली को अप्रार्थी संख्या 6 बनाया गया है। अप्रार्थीगण सीमाज्ञान हेतु तैयार नहीं होने व अप्रार्थीगण की मौजूदगी में राजस्व अधिकारियों द्वारा पत्थरगढी करवाने पर ही तारपेंसिंग व पत्थर के पीलर हटाने की कहने से प्रार्थी अपनी भूमि खसरा संख्या 748 हेतु यह प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत कर रहा है। भूमि खसरा संख्या 748 ग्राम थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 847 रकबा 0.1619 वाके ग्राम थाना की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की मौजूदगी में किये जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली को आदेशित कर, प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1, 3, 4, 5 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने से उसके वारिस पूर्व में ही पक्षकार होने से नाम डिलिट किए जाने के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 6 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमियों में से खसरा संख्या 748 व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के सयुक्त खाते की भूमि खसरा संख्या 1690 व 1620 के बीच रास्ता बना हुआ है, जो राजस्व नक्शे में दर्ज है उक्त रास्ते से प्रार्थी व अप्रार्थी 1 लगायत 4 की भूमि अलग–अलग बंटी हुई है और दोनों की भूमि के मध्य बने रास्ते का प्रार्थी व अन्य खातेदार

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपयोग कर रहे है। उक्त दोनों भूमियों के मध्य बने रास्ते को अप्रार्थीगण ने हाक दिया है व जबरन तारफेसिंग पर आमादा है। पूर्व में नाम करवाने हेतु इकरारनामा किया था परन्तु उसकी पालना नहीं कर रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 द्वारा आये दिन प्रार्थी की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम थाना पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 235 के अनुसार प्रार्थी महादेवा मीना की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 235 के खसरा संख्या 748 रकबा 0.1619 हैक्टेयर वाके ग्राम थाना पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446